भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *73
जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2026 को दिया जाना है।
2 श्रावण, 1948 (शक)

बच्चों के लिए बने मोबाइल ऐप्स पर अश्लील विषयवस्तु

***73. श्रीमती राजाथी :**

क्या इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि बच्चों के लिए बने मोबाइल ऐप्स पर अश्लील विज्ञापन दिखाए जाते हैं;

(ख) सरकार ने गूगल प्ले स्टोर, ऐपल ऐप स्टोर और ऐप डेवलपर्स सहित सभी हितधारकों को ऐसी अश्लील विषयवस्तु को दिखाए जाने से रोकने हेतु निर्देश देने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) को हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से **(ग)** : एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

बच्चों के लिए बने मोबाइल ऐप्स पर अश्लील विषयवस्तु के संबंध में दिनांक 24.07.2026 को राज्य सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या *73 के उत्तर में उल्लिखित विवरण पत्र

*****

(क) से **(ग):** सरकार की नीतियों का उद्देश्य बच्चों सहित अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक मुक्त, संरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ("आईटी अधिनियम") और सूचना प्रौद्योगिकी (माध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021, ("आईटी नियम") ने मिलकर डिजिटल स्पेस में गैरकानूनी और हानिकारक सामग्री से निपटने के लिए एक सशक्त ढांचा तैयार किया है।

बच्चों के लिए सोशल मीडिया और मोबाइल अनुप्रयोगों पर सीएसएएम सामग्री:

भारत सरकार ने इन प्लेटफार्मों पर बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) से जुड़े विज्ञापनों की हालिया रिपोर्टों को गंभीरता से लिया है। इन प्लेटफार्मों को तत्काल सुधारात्मक उपाय करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ("एनसीपीसीआर") ने भी इन सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को नोटिस जारी किया है।

कानूनी ढांचा:

आईटी अधिनियम और आईटी नियमों ने मिलकर डिजिटल कल्याण, उपयोगकर्ता के लिए सुरक्षा उपायों और जिम्मेदार डिजिटल भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक ढांचा स्थापित किया है।

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 ("आईटी अधिनियम")

आईटी अधिनियम में विभिन्न साइबर अपराधों जैसे पहचान की चोरी (धारा 66ग), प्रतिरूपण (धारा 66घ), गोपनीयता उल्लंघन (धारा 66ड.), अश्लील या यौन रूप से स्पष्ट सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने (धारा 67, 67क, 67ख) के लिए सजा का प्रावधान किया गया है।

यह पुलिस को अपराधों की जांच करने का भी अधिकार प्रदान करता है (धारा 78 और 80) ।

माध्यस्थों के अनिवार्य दायित्व:

आईटी नियमों के तहत यह आवश्यक है कि माध्यस्थ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उचित सावधानी बरतेंगे और कंप्यूटर संसाधनों के उपयोगकर्ताओं को सूचित करेंगे कि वे बच्चों के लिए हानिकारक या किसी भी यथालागू कानून का उल्लंघन करने वाली किसी भी जानकारी को होस्ट करने, प्रदर्शित करने, अपलोड करने, संशोधित करने, प्रकाशित करने, प्रसारित करने, अपडेट करने या साझा न करें।

महत्वपूर्ण सोशल मीडिया माध्यस्थों (अर्थात भारत में 50 लाख या उससे अधिक के पंजीकृत उपयोगकर्ता आधार वाले सोशल मीडिया मध्यस्थों) के लिए भी कुछ अतिरिक्त उचित अपेक्षित दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक है:

- स्थानीय अधिकारियों (मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति, निवासी शिकायत अधिकारी) की नियुक्ति करना और अनुपालन तथा कानून प्रवर्तन के समन्वय के लिए भारत में अपना भौतिक पते की जानकारी साझा करना;
- मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करना;

- बलात्कार, बाल यौन शोषण या इस प्रकार के आचरण को दर्शाने वाले किसी भी रूप में किसी भी कार्य या सिमुलेशन को दर्शाने वाली जानकारी की सक्रिय रूप से पहचान करने के लिए स्वचालित उपकरण या अन्य उपयुक्त तंत्र सहित उचित तकनीकी सुरक्षोपाय नियोजित करना, चाहे वह स्पष्ट हो या अन्तरनिहित हो, या ऐसी कोई भी जानकारी जो पहले हटाई गई जानकारी अथवा सामग्री के समान हो;
- मैसेजिंग सेवाएं प्रदान करने वाले एसएसएमआई को कानून प्रवर्तन एजेंसियों को गंभीर या संवेदनशील सामग्री के प्रवर्तकों का पता लगाने में मदद करनी चाहिए; और
- स्वत: कार्रवाई करने से पहले स्वैच्छिक उपयोगकर्ता सत्यापन, आंतरिक अपील और निष्पक्ष सुनवाई की पेशकश करना।

आईटी नियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार अपने कानूनी दायित्वों का पालन करने में माध्यस्थों की विफलता के मामले में, वे आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत प्रदान की गई तीसरे पक्ष की जानकारी के संबंध में अपनी छूट का अधिकार खो देते हैं। वे किसी भी मौजूदा कानून के तहत किए गए प्रावधान के अनुसार परिणामी कार्रवाई या अभियोजन के लिए उत्तरदायी हैं।

<u>हालिया संशोधन:</u>

10 फरवरी, 2026 को, सरकार ने डीपफेक और एआई-जनित सामग्री सहित कृत्रिम रूप से उत्पन्न जानकारी (एसजीआई) से होने वाले नुकसान की समस्या को दूर करने के लिए आईटी नियम, 2021 में संशोधन करके नियामक ढांचे को मजबूत किया।

संशोधन से संबंधित मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं: -

- माध्यस्थों को अनुमेय एआई-जनित सामग्री के लिए स्पष्ट लेबलिंग और पता लगाने योग्य मेटाडेटा सुनिश्चित करना, ताकि उपयोगकर्ता आसानी से कृत्रिम रूप से उत्पन्न सामग्री की पहचान कर सकें और धोखे या दुरुपयोग से बच सकें।

  यह उपयोगकर्ता की जवाबदेही और प्लेटफॉर्म के उचित अपेक्षित सावधानी को और मजबूत करता है, जिसमें गैरकानूनी एआई-जनित सामग्री के कानूनी परिणामों के बारे में अनिवार्य उपयोगकर्ता जागरूकता और सोशल मीडिया माध्यस्थों के लिए सशक्त अनुपालन दायित्व शामिल हैं।

- महत्वपूर्ण रूप से, दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से बाल यौन शोषण सामग्री, गैर-सहमति वाली अंतरंग छबियों, प्रतिरूपण और अन्य हानिकारक एआई-जनित सामग्री को शामिल किया गया है, जिससे प्लेटफार्मों को ऐसी सामग्री को रोकने और पता चलने पर त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
- उपयुक्त सरकार या अदालत के आदेशों के माध्यम से वैध तर्कसंगत सूचना प्राप्त होने पर गैरकानूनी जानकारी को हटाने के लिए समय-सीमा को घटाया जाना (36 घंटे से घटाकर 3 घंटे)।

  शिकायत निवारण (विशेष श्रेणियों जैसे नग्नता/प्रतिरूपण आदि सहित) के लिए संवेदनशील मामलों में समय-सीमा को क्रमशः 72 घंटे से घटाकर 36 घंटे और 24 घंटे से घटाकर 2 घंटे कर दिया गया है।

- माध्यस्थ स्वचालित उपकरण या अन्य उपयुक्त तंत्र सहित उचित और उपयुक्त तकनीकी उपाय लागू करने के लिए बाध्य हैं ताकि किसी भी उपयोगकर्ता को कृत्रिम रूप से उत्पन्न कोई भी ऐसी जानकारी सृजित करने, उत्पन्न करने, संशोधित करने, परिपर्तित करने, प्रकाशित करने, पारेषित करने, साझा करने या प्रसारित करने, जैसा भी मामला हो, की अनुमति न दी जा सके, जो उस समय यथालागू किसी भी कानून का उल्लंघन करती है।
- माध्यस्थ को ऐसे मामलों, जहां उल्लंघन में वर्तमान में यथालागू किसी भी कानून के तहत अपराध करना शामिल है - जैसे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के साथ पठित भारतीय न्याय संहिता, 2023 या यौन अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम, 2012, जिसमें रिपोर्टिंग की अनिवार्यता का प्रावधान किया गया है, में यथालागू कानून के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त प्राधिकारी को ऐसे अपराध की रिपोर्ट करनी चाहिए।

<u>डेटा सुरक्षा:</u>

इसके अतिरिक्त, डिजिटल वैयिक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 ("डीपीडीपी अधिनियम") अधिनियमित किया गया है जो डिजिटल वैयिक्तिक डेटा के प्रसंस्करण को विनियमित करने के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करता है।

डीपीडीपी अधिनियम में बच्चों की ऑनलाइन गोपनीयता की सुरक्षा के लिए एक कानूनी ढांचे का प्रावधान किया गया है। यह बच्चों के वैयिक्तिक डेटा को संसाधित करने के लिए माता-पिता की सहमति को अनिवार्य करता है और बच्चों के प्रति ट्रैकिंग, व्यवहार निगरानी या लक्षित विज्ञापन जैसे उनकी भलाई के लिए हानिकारक प्रथाओं को प्रतिबंधित करता है।

<u>हानिकारक सामग्री को ब्लॉक करना:</u>

<u>सरकार ने पिछले दो वर्ष में अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने और आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67क, बीएनएस की धारा 294 और महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 के उल्लंघन के लिए भारत में सार्वजनिक पहुंच हेतु 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी डिसेबल कर दिया है।</u>

<u>जागरूकता अभियान:</u>

सरकार सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन सृजित करने और जनता के बीच साइबर स्वच्छता और साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर सामान्य जागरूकता पैदा करने के लिए 'सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता (आईएसईए)' पर एक परियोजना कार्यान्वित कर रही है।

अब तक, देश भर में 6,650 जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं, जिनमें स्कूल/कॉलेजों के छात्रों, शिक्षकों, कानून प्रवर्तन, सरकारी कर्मियों और आम जनता सहित 11.37 लाख+ प्रतिभागियों को शामिल किया गया है।

इसके अलावा, हैंडबुक, लघु वीडियो, पोस्टर, ब्रोशर, बच्चों के लिए कार्टून कहानियों आदि के रूप में बहुभाषी जागरूकता सामग्री प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया और www.isea.gov.in और https://staysafeonline.in/ के माध्यम से प्रकाशित और प्रसारित की जाती है।

सीईआरटी-इन नियमित रूप से अपनी आधिकारिक वेबसाइटों और सोशल मीडिया हैंडल पर संरक्षा और सुरक्षा युक्तियाँ और जागरूकता पोस्टर, इन्फो-ग्राफिक्स और वीडियो साझा करता है और इसका उद्देश्य बच्चों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा उपायों सहित साइबर सुरक्षा हमलों और धोखाधड़ी के बारे में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को संवेदनशील बनाना है।

शिक्षा मंत्रालय ने जुलाई 2020 में डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें छात्रों की भलाई को बढ़ावा देने और सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जिम्मेदार उपयोग सहित सुरक्षित और प्रभावी ऑनलाइन अधिगम हेतु एक फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है।

सीबीएसई ने पूरक के तौर पर डिजिटल शिष्टाचार, शिक्षकों के लिए साइबर-सुरक्षा प्रशिक्षण, साइबर सुरक्षा पुस्तिका के प्रकाशन और साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए साइबर क्लब स्थापित करने के लिए स्कूलों को सलाह के माध्यम से इन प्रयासों को पूरा किया है।

एनसीईआरटी ने अपने पाठ्यक्रम में साइबर संरक्षा को भी शामिल किया है, जिसमें कक्षा XI और XII में "सामाजिक प्रभाव" पर एक अध्याय शामिल है, और सीआईईटी-एनसीईआरटी ने साइबर सुरक्षा पर संसाधन सामग्री विकसित और प्रसारित की है।

*****